

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक : 115582

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 1784

दिनांक 31/07/2018



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण—पत्र  
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या K-639

पत्रावली संख्या K-47888

दिनांक 31/07/2018

श्री जय सिंह शिक्षण संस्थान

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि .....

सिविल लाइन्स(फूस बंगला) कतोहगढ़, जनपद—फरुखाबाद(उ0प्र0)

को

285/2013-14

26/06/2013

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र ..... दिनांक ..... को दिनांक  
26/06/2018

..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1150/- ..... रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

31/07/2018

जारी करने का दिनांक

सोसाइटी के रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश

## स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :— श्री जय सिंह शिक्षण संस्थान
2. संस्था का पता :— सिविल लाइन्स (फूस बंगला), फतेहगढ़, जनपद फरुखाबाद (उ० प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :— सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के मुख्य उद्देश्य :—
  1. शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक विद्यालय / महाविद्यालय को खोलना चलाना व चालू रखना।
  2. विद्यार्थियों हेतु रोजगार पूरक विषयों व संकार्यों की सम्बद्धता महाविद्यालय में लेना।
  3. संस्था द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करना।
  4. संस्थाओं में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा हेतु आवासीय सुविधा प्रदान करना।
  5. समिति द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, शोध केन्द्र, मेडिकल कालेज एवं पैरा मेडिकल कालेज, इंजीजियरिंग कालेज, डेन्टल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, नर्सिंग कालेज, फार्मेसी संस्थायें, महाविद्यालय आदि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना।
  6. समिति द्वारा हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, रिसर्च सेंटर आदि खोलना, उन्हें संचालित करना तथा उनका प्रबन्ध करना।

वरित्रवान तथा शुभ आचरण करने वाले अध्यापकों, प्राध्यापकों शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति होना जो शिष्यों तथा विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक व्यवसाय गवेषण कार्य, बौद्धिक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में दक्ष्या आधुनिकतम शिक्षण देने के योग्य हों।
8. विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वस्थ और समालोचनात्मक मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक हों।
9. समिति की विषय वस्तु का इस प्रकार विनिधान, व्ययन, अन्तरण तथा अन्य लेन देन करना तथा उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित कराना।
10. दान, उपहार, अनुदान, तथा अन्य भेंटों को स्वीकार करना तथा उन्हें संस्था के प्रयोजनों के लिये व्यवहार में लाना।
11. इस समिति के आधीन संस्थापित या स्थापित की जाने वाली संस्थाओं के साधारण व देखरेख में होने वाले व्यय तथा अन्य परिव्ययों की पूर्ति के लिये सयत शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क लेना।
12. शिष्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और सन्नद करना कि वे शिष्ट और सामान्य जीवन अपनाने के लिये आत्मनिर्भर हो सकें और अच्छे स्वरूप और प्रकृतशील नागरिक बने।

Angana

सत्य-प्रतिक्रिया

वरिष्ठ सहायक  
प्रार्थना उपर्युक्त नमूने को संकलित तथा निर्माण  
करना चाहते हैं।

रामपाल / कृष्ण

रामपाल मिंव

गत १३.१.००

(2)

13. विद्यार्थियों तथा उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के लिये छात्रावास स्थापित करना तथा उसे चलाना।
14. समिति द्वारा शिक्षण संस्थायें आदि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना तथा पूर्व से अन्य समिति द्वारा चल रहे किसी भी महाविद्यालय को अपने द्वारा संचालित करना।
15. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार स्थानीय निकाय एवं विदेशी सरकार, मिशन द्वारा स्वीकृत योजना को जनहति में संचालित करना व कराना।
16. सेमिनार, कानफेन्स, प्रदर्शनी आदि के आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान व तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।
17. संस्था के लिये चल अबल सम्पत्ति भूमि भवन आदि दान पटटे पर लेना, क्य करना किराये पर लेना आदि।

(5) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम पता, पद एवं व्यवसाय जिन्हे संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:-

क्रम	नम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री जय सिंह	श्री शिवदयाल सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फरुखाबाद	अध्यक्ष	कृषि
2.	डॉ अंगना	w/o श्री पुष्टेन्द्र सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फरुखाबाद	उपाध्यक्ष	शिक्षिका
3.	डॉ शैलेन्द्र सिंह	श्री जय सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फरुखाबाद	सचिव	चिकित्सक
4.	सुनीता यादव	w/o श्री शैलेन्द्र सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फरुखाबाद	उपसचिव	शिक्षिका
5.	श्रीमती शकुन्तला देवी	w/o श्री जय सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फरुखाबाद	कोषाध्यक्ष	शिक्षिका
6.	श्री रामपाल सिंह	श्री मिठूलाल	ग्राम व पो०— अहिरुआ राजा रामपुर, छिवरामऊ, कन्नौज	सदस्य	शिक्षक
7.	श्रीमती राजकुमारी	w/o श्री बावूराम यादव	एम०पी० रोड टूण्डला, आगरा	सदस्य	गृहणी



सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक  
उपनिबन्धक समिति, सेताइय तथा विटा  
आगरा ज़िल्हा, काशी

Rampal Singh  
राजकुमारी

रामपाल सिंह  
राजकुमारी

निम्न हस्ताक्षरकर्ता समिति को उपरोक्त सूत्रिपत्र के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पर्यवेक्षण समिति का पंजीयन कराना चाहते हैं :-

20/6/13

क्रमांक

नाम

हस्ताक्षर

1. श्री जय सिंह
2. डॉ अंगना
3. डॉ शैलेन्द्र सिंह
4. डॉ सुनीता यादव
5. श्रीमती शकुन्तला देवी
6. श्री रामपाल
7. श्रीमती राजकुमारी

Surj  
Angana  
Shailendra Singh  
Sunita  
Shakuntala Devi  
Ramopal Singh  
Rajkumari



### सत्य-प्रतिलिपि

परिचय सहायक  
एकांकीकरण एवं संशोधन व्याविष्टि  
कानून एवं विधान कानून

(1)  
नियमावली

1. संस्था का नाम :— श्री जय सिंह शिक्षण संस्थान
2. संस्था का पता :— सिविल लाइन्स (फूस बंगला) फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद (उ० प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :— सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :— प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, उम्र से बालिग हो, संस्था के उद्देश्यों से आस्था व विश्वास रखता हो, नियमानुसार नियमावली का पालन करने के लिये वचनबद्ध रहे, संस्था का सदस्य बनाया जा सकेगा। सदस्यता हेतु संस्था के सचिव के नाम आवेदन करना होगा। सचिव की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के निर्देश देकर सदस्यता प्रदान की जा सकती है।

(i) आजीवन सदस्य :— जो व्यक्ति संस्था को ₹० ५१०००=०० या समान मूल्य की चल, अचल सम्पत्ति देंगे, वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

(ii) सामान्य सदस्य :— जो व्यक्ति इस संस्था को ₹० ११०००=०० प्रवेश शुल्क देकर प्रतिवर्ष ₹०१,०००=०० वार्षिक शुल्क देंगे, इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

(iii) विशिष्ट सदस्य :— संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी सेवा एवं योगदान के आधार पर संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जा सकेगा। विशिष्ट सदस्यों की सदस्यता निःशुल्क होगी, किन्तु इनकी संख्या चार से अधिक न होगी। दो-दो सदस्य अध्यक्ष व सचिव बना सकेंगे। इन्हे साधारण सभा का सदस्य माना जायेगा।

(iv) संस्थापक सदस्य :— जिन व्यक्तियों के द्वारा संस्था के पंजीयन के समय ₹०१००१=०० संस्था को दान दिया जायेगा, उन्हे पंजीयन के समय में दिये गये स्मृति पत्र के सदस्य नामावली में से संस्थापक सदस्य घोषित किया जायेगा, पंजीयन के ०२ वर्ष बाद संस्थापक सदस्य नहीं बनाये जायेंगे।

(5) सदस्यता की समाप्ति :— मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर कोढ़ी या दिवालिया हो जाने पर, न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दण्डित होने पर, सदस्यता शुल्क नियमित न देने पर, संस्था विरोधी कार्य करने पर, बिना पूर्व सूचना के लगातार तीन या इससे अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर त्यागपत्र देने व स्वीकार हो जाने पर, २/३ बहुमत से अविस्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर सदस्यता की समाप्ति का निर्णय प्रबन्ध समिति के अनुमोदन पर साधारण सभा के २/३ बहुमत से लिया जायेगा।

(5) संस्था के अंग :—

- (1) साधारण सभा
- (2) प्रबन्धकारिणी समिति

(1) साधारण सभा :—

(अ) गठन :— साधारण सभा का गठन सभी वर्गों के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा, जिसमें निम्न प्रकार के सदस्य शामिल होंगे।

(i) संस्थापक सदस्य (ii) आजीवन सदस्य (iii) साधारण सभा (iv) विशिष्ट सदस्य



रामपाल सिंह

जगद्गुरु

विशिष्ट सहायक

विशिष्ट सहायक कमीटी संस्थापक नामावली द्वारा दिया गया नामावली

रामपाल सिंह

(2)

(ब) बैठकें — सामान्य व विशेष — सचिव द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन पर साल में एक बार साधारण सभा की बैठक बुलाई जाना अवश्यक होगा। साधारण सभा की बैठकें आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती हैं।

(स) सूचना अवधि— साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचनाये 7 दिन पूर्व व विशेष की 3 दिन पूर्व प्रसारित होना आवश्यक होगा।

(द) गणपूर्ति — कुल सदस्यों की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी। कोरम के अभाव में कोरम के स्थगित बैठकों के लिये कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा परन्तु विषय व एजेण्डा पूर्ववत ही रहेगा।

(ए) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि— संस्था प्रतिवर्ष सत्र की समाप्ति पर अपना विशेष वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करेगी, जिसमें उसी वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी, जिसकी तिथि प्रबन्ध समिति अपने बहुमत से तय करेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य—

(i) प्रबन्ध समिति का चुनाव करना।

(ii) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं प्रविष्टि के अनुमोदन सभा द्वारा बहुमत के आधार पर ही किया जायेगा।

(iii) वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना।

(iv) प्रबन्ध समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना।

(2) प्रबन्धकारिणी समिति —

(अ) गठन — साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबन्ध कारिणी समिति का चुनाव होगा, जो 05 वर्ष तक विधमान्य होगी। प्रत्येक 05 वर्ष के पश्चात् साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का पुनः गठन किया जायेगा। प्रबन्ध समिति के लिये निम्नलिखित पदाधिकारियों व सदस्यों का चुनाव होगा।

अध्यक्ष	— एक —
उपाध्यक्ष	— एक —
सचिव	— एक —
उपसचिव	— एक —
कोषाध्यक्ष	— एक —
सदस्य	— दो —

इस प्रकार वर्तमान में प्रबन्ध समिति में कुल पदाधिकारी व सदस्य 07 होंगे।



(ब) बैठकें सामान्य व विशेष — साधारण सभा की सामान्य बैठकों का आयोजन प्रति तिमाही किया जायेगा। विशेष आवश्यकतानुसार कभी भी अध्यक्ष के अनुमोदन पर सचिव द्वारा बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि— साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचनाये 7 दिन पूर्व व विशेष की 3 दिन पूर्व प्रसारित की जायेगी।

(द) गणपूर्ति — कुल सदस्यों की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी। कोरम के अभाव में कोरम के स्थगित बैठकों के लिये कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा परन्तु विषय व एजेण्डा पूर्ववत ही रहेगा।

(ए) रिक्त स्थानों की पूर्ति — संस्था की प्रबन्ध कारिणी समिति में हुये आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

*[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

रम्पाल सिंह श.न क.मारी

*संसद विभाग*  
कर्नाटक संसद  
सत्यमेव जयते

*श.कृष्णतामा*

(3)

(7) प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल, अधिकार व कर्तव्य

1. सरथा की प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा एवं समिति द्वारा संचालित विद्यालयों, नहाविद्यालयों व अन्य सरथाओं की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल भी 05 वर्ष का होगा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च प्रत्येक वर्ष के लिये वजट प्रस्ताव को तैयार कर पास करायेगी।
3. प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निष्कासन एवं निलम्बन प्रबन्ध समिति द्वारा नियमानुसार की जायेगी, जिसके लिये प्रबन्ध समिति के सचिव को अधिकृत किया जायेगा।
4. समिति द्वारा प्रस्तावित आय व्यय को संचालित करना।
5. समिति की विषय वस्तु के निकाय में से या उसके किसी भाग के विक्रय के आगम में से ऐसी धनराशि जैसी कि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से संलिप्त की जाये, भवन आदि के निर्माण में तथा अन्य पूँजीगत व्यय काने के लिये खर्च कर सकेंगे।
6. समिति को शुल्क, अनुदान, उपहार तथा अन्य धनराशियों का जो भी उसे प्राप्त होंगी लेखा देगी और किसी श्रोत से प्राप्त होने वाली निधियों के बारे में पदाधिकारियों के निर्देश का पालन करेगी।
7. सरथा की चल व अचल सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेना तथा उसका रख रखाव करना।
8. समिति को सम्पत्ति क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं सरथाओं को देने, राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों से ऋण एवं बैंक गारन्टी प्राप्त करने हेतु समिति की वर्तमान एवं भविष्य में प्राप्त (Acquire) होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि बैंक में रखकर बन्धक (Mortgage) कर सकने का अधिकार होगा।
9. समिति को अपनी सरथाओं को संचालित करने के लिये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य बैंक, वित्तीय स्थानीय निकायों, अन्य संस्थाओं, व्यक्तियों तथा प्रइवेट लिमिटेड कम्पनियों से सासद/विधायक निधिया लेना तथा दान लेना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों प्रदानादिसे लोन प्राप्त करना व अन्य समितियों व ट्रस्ट को ऋण व दान देना।
10. समिति को भवन आदि के निर्माण कराना एवं अन्य व्ययों हेतु राजकीय अनुदान, सासद/विधायक निधिया लेना तथा दान लेना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों के द्वारा दिया जाना व अन्य समितियों व ट्रस्ट को ऋण व दान देना।
11. समिति को राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार का खाता जैसे चालू खाता, बचत खाता, मियादी जमा खाता, ऋण खाता, गारन्टी खाता इत्यादि खोलने का अधिकार होगा। बैंक खातों का संचालन प्रबन्ध समिति के सचिव के हस्ताक्षर से होगा। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह बैंक में खाता अपने नाम पर या संचालित संस्थान के नाम पर जो भी उचित समझेगी खोलेगी।
12. समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का घयन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

**सत्य-प्रतिलिपि**

*S. C. S.*  
वारच सहायक  
वर्षान्त उपसंचालक सम्म. शोभाटीज व्या. निर्म.  
वर्षान्त बन्धक कानून

*Suraj Singh*  
रमपाल सिंह, जनकपाल

*Shanti D.*  
इन्द्रजीत दास

(4)

13. समिति की चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति पदाधिकारियों व सदस्यों के दान द्वारा समिति के आजीवन सदस्यों, अन्य सदस्यों व समाजसेवियों द्वारा दान प्राप्त (Acquire) होगी।
14. समिति द्वारा बैंक से ऋण एवं बैंक गारन्टी लेने के पश्चात बैंक की अदायगी समय से नहीं करने पर बैंक को अधिकार होगा यह समिति की सम्पत्ति को नीलाम करके बैंक की बकाया राशि बसूल कर इन सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को बोई आपत्ति नहीं होगी।
15. लांगोते या भारत सरकार राज्य सरकार सांसदों विधायिकों रथानीय निकायों आदि -के राहायग विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार होगा।
16. समिति को अपनी भूमि/अन्य सम्पत्ति को नियमानुसार समिति द्वारा प्रस्तावित/संचालित संस्थाओं के नाम रजिस्टर्ड दानपत्र/पंजीकृत विलेख एवं लीज पर देने का अधिकार होगा।
17. शासन/विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क छात्र-छात्राओं से प्राप्त कर नियमानुसार प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान करना।
18. सचिव द्वारा सरकार एवं अन्य व्यक्तियों से पत्र व्यवहार करना।
19. कोई धन अथवा सम्पत्ति महाविद्यालय के नाम होगी अथवा ली जायेगी तो धन अथवा सम्पत्ति पर संधिय के माध्यम से प्रबन्ध समिति का अधिकार होगा।
20. संस्था की तारफ से कानूनी कार्यवाही करना या संस्था के विरुद्ध यदि काई मुकदमा चलता है, तो संधिय के माध्यम से उसकी पैरवी करना।
21. शिक्षा संस्थान के लिये नियमानुसार विभिन्न प्रकार के संस्थान उनकी सदस्यता की रवीकृति सुनिश्चित करना।
22. प्रबन्ध समिति का यह भी अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने से के 3 सदस्यों की राय से अपनी नियमावली में संशोधन कर सके।



(8) प्रबन्धकारणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

1 अध्यक्ष -

1. प्रबन्ध समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक करने के लिये जिन्होंने कोई अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन और बैठकों को स्थगित करना।
3. इस बात की देखरेख करना कि इस नियमावली का पालन समरत पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा निष्ठा के साथ कार्यान्वयन्दु किया जाय।
4. यदि बैठक में दो पक्षों के बराबर मत हों तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देना।

2 उपाध्यक्ष -

1. अध्यक्ष को अनुपरिथिति में उपाध्यक्ष को उसके सब अधिकार प्राप्त होंगे।
2. ऐसे समरत अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्रतिनिहित किये गये हों।

सत्य-प्रतिलिपि

शमपाल सिंह राज कुमारी

वारचु संघायक  
राज्य नियमित अमंत्री सोशल ट्रिप ट्रिप  
कानून व्यवस्था तात्परा

Smita

शुभानुली की

## 3. सचिव :-

- इस प्रबन्ध समिति का मुख्य कार्यपालक होगा तथा समस्त प्रकार के संचालन प्रबन्धन व व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होगा।
- संचालित महाविद्यालय की चल अचल सम्पत्ति भूमि भवन आदि की देखरेख व सुरक्षा करना तथा इससे सम्बन्धित अनुबन्धों दस्तावेजों व शर्तनामों आदि पर संस्था की प्रधान की हैसियत से हस्ताक्षर करना।
- प्रबन्ध समिति व महाविद्यालय को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के दान व अनुदान एवं अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना व उनकी प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करना।
- संस्था के सभी प्रकार के रिकार्ड व रजिस्टर आदि तैयार करना, व उन्हे प्रमाणित करना व अध्यक्ष से सत्यापित कराना।
- अनुमानित बजट तैयार करना व उसे प्रबन्ध समिति से पास कराना तथा बजट के अधीन रहते हुए सभी प्रकार के व्यय करना।
- संस्था की ओर से समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार करना व संस्था का प्रतिनिधित्व विभागों में करना।
- संस्था के पारित प्रस्तावों को कार्यरूप प्रदान करना।
- सदस्य बनाना, एजेण्डा प्रसारित करना, बैठकों का आयोजन करना।
- शिक्षा विभाग महाविद्यालय, प्रशासन योजना, शिक्षा संहिता सहित राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व उनके विभागों अनुभागों द्वारा महाविद्यालय को होने वाली सभी अधिकारों का पालन करना व प्रयोग करना।
- संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाली समस्त अदालती कार्यवाहियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- सभी प्रकार के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, विमुक्ति पदोन्नति निष्कासन एवं निलम्बन आदि के निर्णय लेना।
- संस्था की ओर जारी होने वाले सभी आदेशों पर अपने हस्ताक्षर करना।
- बिलों एवं देयों का भुगतान करना।
- अपने हस्ताक्षरों से समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के नाम का खाता खोलना व उसका संचालन धनाहरण करना आदि।
- ऐसी स्थिति में जब प्रबन्ध समिति की बैठक बुलायी जाए तो सम्भव नहीं हो सके तब अध्यक्ष की सहमति से आपातकालीन निर्णय लेना।

## 4. उपसचिव :-

- सचिव के सहयोगी के रूप में कार्य करना।
- सचिव की अनुपस्थिति में प्रबन्ध समिति द्वारा तदर्थ रूप से प्राधिकृत अधिकारों का प्रयोग करना व कर्तव्यों का पालन करना।
- उपसचिव को वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

सत्य-प्रतिलिपि

विशेष सहायक  
राज्य उचित वर्ष तात्पुरता वा विद्युत  
कानून विवरण

रामपाल सिंह राज कुमारी

राजनीति का

## 5. कोषाध्यक्ष

1. सरथा के आय व्यय का विधित रखरखाव व लिखा पढ़ी करना। सरथा का वापिक बजट तैयार करने में सचिव को मदद करना व आवश्यक सुझाव देना।
  2. सरथा के रादरस्थों से रादरस्थता शुल्क प्राप्त करना।
  3. आडिट देखु प्रपत्र तैयार करना।
  4. नियुक्ति आडीटर से विधित आडिट करवाना।
  5. सदस्य— प्रदन्ध समिति की सभी बैठकों में उपस्थित होना।
- (9) संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :— सरथा की साधारण सभा के  $\frac{2}{3}$  बहुमत के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्धन स्वीकार होंगे।
- (10)- संस्था का कोष :— (1) संस्था का समरत कोष किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट अफिस में संस्था वो नाम से खाता खोलकर जमा होगा। जिसका संचालन संस्था के सचिव के हस्ताक्षर से होगा।
- (2)— यदि किसी नियम या योजना के लिए संस्था का खाता संयुक्त हस्ताक्षरों से खोला जाना अनिवार्य होगा तो उस योजना विशेष के लिये संस्था का खाता अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोला व चलाया जा सकेगा।
- (11) संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) — संस्था के आय तथा व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष साधारण रूप से द्वारा नियुक्त आडीटर के द्वारा कराया जा सकेगा।
- (12) संस्था द्वारा अथवा उसके विलद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व - यदि किसी पर संस्था मुकदमा चलाती है या संस्था पर कोई मुकदमा चलाया जाता है तो समरत अदालती कार्यवाही संस्था के सचिव के नाम से या उसके द्वारा चलायी जाएगी।
- (13) संस्था के अभिलेख :— 1-सदस्यता रजिस्टर  
2-एजेण्डा व कार्यवाही रजिस्टर  
4-स्टाक रजिस्टर  
5-कैश बुक आदि
- (14) संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही दो सालायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धरा 13 व 14 की अन्तर्गत की जायेगी।



दिनांक - २०/६/१३

Seuf      Angana      NV

रमपाल सिंह      राज कुमारी      सत्य-प्रतिलिपि

२०१३-१४  
वर्ष

वरिष्ठ सहायक  
सालायट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नोटाइंग रजिस्ट्रेशन  
कानूनी व्यवस्था कानून



पत्राबद्दी संख्या K-47888

आलेख्य क्रम संख्या II  
सूती क्रम २५४८ प्राप्ति संख्या ७  
निवासलती

आज दिनांक २६-६-२०३

को सन् 1880 के अधिनियम

अन्तर्गत निवासी परी गई

उप निकन्धक समिति  
उत्तर प्रदेश, कानपुर

१